न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(बईजलास श्री भंवर लाल मेहरा आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील एल.आर. संख्या 116/2008/(2008/00008) जिला–नागौर

गोरधन पुत्र बेजुलाल जाति महाजन निवासी माण्डेली तहसील व जिला नागौर।

———अपीलार्थी

बनाम

1. सोदरा देवी पत्नी चुन्नी लाल
2. हनुमान बगस पुत्र चुन्नीलाल
   सभी जाति महाजन निवासी माण्डेली तहसील व जिला नागौर।
3. ग्राम पंचायत जोधियासी जरिये सरपंच ग्राम पंचायत जोधियासी तहसील व जिला नागौर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, नागौर।
5. सब रजिस्ट्रार, नागौर।

————प्रत्यर्थीगण

———

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956,
विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी नागौर दिनांक 20–06–2008
अन्तर्गत अपील संख्या 23/2007
बउनवान गोरधन बनाम सोदरा देवी व अन्य

————

उपस्थित– 1. श्री पुष्पेन्द्र सिंह अभिभाषक अपीलार्थी
2. श्री गिरीश पारीक़, अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट संख्या–1 व 2

निर्णय

दिनांकः 02–05–2022

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नागौर के समक्ष अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अपीलार्थी का सगा बड़ा भाई हजारी मल उर्फ हजारी राम पुत्र बेजूलाल निवासी माण्डेली अविवाहित था जो शुरू से लेकर मृत्यु तक अविवाहित ही था उसके साथ अपीलार्थी उत्तराधिकारी के रूप में रहता था। हजारीमल उर्फ हजारीराम के बंट कब्जे काश्त की खातेदारी आराजियात खसरा नम्बर 82/19 रकबा 16.08 बीघा मौजा माण्डेली में स्थित था तथा अन्य खेत मौजा गोरेरा का खसरा नम्बर 394 रकबा 39 बीघा में

हजारीमल का सहखातेदारी के खेत थे जिन पर हजारीमल उर्फ हजारीराम व अपीलार्थी का कब्जा काश्त था। अपीलार्थी के बड़े भाई हजारी लाल का देहान्त दिनांक 8–6–2002 को हो गया जिससे पहले ही अपीलार्थी के बड़े भाई हजारी राम ने एक वसीयतनामा लिखकर उक्त खेताय का मालिक बतौर वसीयत बनाया तथा घोषित किया कि मेरी मृत्यु के पश्चात मेरी बंट कब्जे काश्त खातेदारी के उक्त खेत का मालिक मेरा छोटा भाई गोरधन राम होगा। अपीलार्थी के बड़े भाई के देहान्त के पश्चात मौजा गोरेरा के खसरा नम्बर 394 पर जरिये नामान्तरकरण अपीलार्थी के नाम स्वीकृत होकर राजस्व रेकार्ड व खतौनी में इन्द्राज हो गया। लेकिन माण्डेली के खसरा नम्बर 82/19 का नामान्तरकरण संख्या 123 ग्राम पंचायत जोधियासी ने दिनांक 20–7–2007 को रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 के नाम भर दिया। जिसकी जानकारी होने पर अपीलार्थी ने नामान्तरकरण संख्या 123 दिनांक 20–7–2007 के विरूद्ध एक अपील उपखण्ड अधिकारी, नागौर के समक्ष की। अधिनस्थ न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनकर अपने आदेश दिनांक 20–6–2008 के द्वारा अपीलार्थी की अपील खारिज कर दी तथा नामान्तरकरण संख्या 123 को भी खारिज कर तहसीलदार नागौर को प्रकरण प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये कि स्व0 हजारीमल के समस्त उत्तराधिकारी जो ग्राम पंचायत जोधियासी की बैठक कार्यवाही दिनांक 20–7–2007 के प्रस्ताव संख्या 2 में अंकित है, के नाम पुनः म्यूटेशन स्वीकृत किया जावे। उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यथीगण को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये तथा संबंधित अभिलेख मंगवाया गया। दोनो पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान मुख्य–मुख्य तर्क दिये कि अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी के भाई स्व0 हजारी लाल ने अपीलार्थी के हक में विवादग्रस्त आराजियात की वसीयत कर दी थी जिसके आधार पर ग्राम गोरेरा की कृषि भूमि का नामान्तरकरण अपीलार्थी के नाम स्वीकृत हो गया था। उक्त तथ्य को नजरअंदाज कर अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो निरस्त योग्य है।

उन्होंने यह भी तर्क दिया कि अधिनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश में वसीयतनामे को संदेहास्पद प्रतीत होना माना है जो उनके अधिकार क्षेत्र से परे है किसी भी वसीयत के सही एवं गलतहोने का निर्णय करने का अधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है बल्कि दीवानी न्यायालय को है फिर भी इस महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दु को नजर अन्दाज कर अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत वसीयतनामें को अपंजीकृत वसीयत मानते हुए साक्ष्य में ग्राह्य योग्य नहीं माना जबकि वसीयत को पंजीकृत कराना कानून में कहीं आवश्यक नहीं है वसीयत मृतक की अंतिम इच्छा होती है जो सादे पेपर पर भी लिखी जा सकती है। राजस्थान में कृषि भूमि के संबंध में निष्पादित की गई कोई भी वसीयत को पंजीकृत कराने या प्रोबेट लेने की आवश्यकता नहीं है फिर भी इस तथ्य को

नजरअन्दाज कर अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो निरस्त योग्य है।

बहस के दौरान उन्होनें यह भी कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय ने प्लीडिंग व रिलीफ से बाहर जाकर जो नामान्तरकरण अन्य व्यक्तियों के नाम नामान्तरकरण स्वीकृत करने का आदेश दिया है वह विधिविपरीत है। प्रस्तुत प्रकरण में हजारी मल के वारिसों ने कोई अपील प्रस्तुत नहीं की और न ही किसी ने अपीलार्थी के हक में हुई वसीयत का विरोध ही किया। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नागौर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 20–6–2008 व नामान्तरकरण संख्या 123 दिनांक 20–7–2007 को निरस्त किये जाने एवं वसीयत अनुसार विवादग्रस्तआराजियात खसरा नम्बर 82/19 पर अपीलार्थी के हक में नामान्तरकरण स्वीकृत करने हेतु निवेदन किया गया।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक की उक्त बहस के जवाब में प्रत्यर्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलार्थी द्वारा हजारी राम की मृत्यु दिनांक 8–6–2002 को हो होना बताया तथा उसके द्वारा लिखी गई वसीयत दिनांक 7–6–2002 को किया जाना बता रहे है। हजारीराम ने जब वसीयत दिनांक 8–6–2002 को कर दी थी तो अपीलार्थी तहसीलदार के समक्ष 2007 को वसीयत लेकर क्यों गये। ग्राम पंचायत जोधियासी द्वारा प्रस्ताव संख्या 2 पारित कर नामान्तरकरण संख्या 123 दिनांक 20–7–2007 स्वीकृत किया है जो ठीक है। वसीयत पर दूसरे भाईयों के हस्ताक्षर क्यों नहीं लिये गये। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी की अपील मियाद बाहर थी। सक्षम न्यायालय से वसीयत का प्रोबेट नहीं लिया हजारीराम द्वारा की गई वसीयत रजिस्टर्ड नहीं है। वसीयत 10/– रूपयें के स्टॉम्प पर लिखी गई है जिसकी पुस्त पर सतीश का नाम अंकित है जबकि सतीश नाम का कोई व्यक्ति नहीं हैं स्टाम्प लेने वाले के हस्ताक्षर नहीं है। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय ने वसीयत को फर्जी माना है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी की अपील खारिज कर प्रकरण रीमाण्ड किया है जो विधिसम्मत है। अतः अपीलार्थी की अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

जवाबुल जवाब में अपीलार्थी के अभिभाषक ने कथन किया कि हजारीराम के चार भाई थे। सतीश अर्जुनलाल का बेटा है जो स्टॉम्प लेकर आया था। यदि वसीयत फर्जी है तो वे स्वयं सिद्ध करे। नामान्तरकरण गैर कानूनी था वसीयत को प्रोबेट करने की जरूरत नहीं है। अपीलार्थी के प्रकरण को रीमाण्ड नहीं किया जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने जो निर्देश दिये वो गैर कानूनी हैं हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के विपरीत जाकर आदेश पारित किया है। प्रत्यर्थीगण संख्या 1 व 2 का नाम नामान्तरकरण में किस हैसियत से लिखा गया है अन्य किसी पक्षकार को कोई आपत्ति नहीं है किसी को जबरदस्ती पक्षकार नहीं बनाया जा सकता है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर उपखण्ड अधिकारी नागौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 20–6–2008 निरस्त किया जावे एवं नामान्तरकरण संख्या 123 दिनांक 20–7–2007 को निरस्त कर वसीयत अनुसार विवादित

आराजियात खसरा नम्बर 82/19 पर अपीलार्थी के हक में नामान्तरकरण स्वीकृत करने का आदेश प्रदान करने हेतु निवेदन किया गया।

मैंने दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की सुनी बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया तथा संबंधित अभिलेख का अवलोकन व अध्ययन किया जिसके अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि सरपंच ग्राम पंचायत जोधियासी को ग्राम सभा में प्रस्ताव लेकर सर्वसम्मति से नामान्तरकरण स्वीकृत करने का अधिकार है। सरपंच ग्राम पंचायत ने प्रस्ताव लेकर नामान्तरकरण संख्या 123 स्वीकृत किया था। अपीलार्थी का कथन है कि हजारीमल उर्फ हजारी राम पुत्र बेजूलाल निवासी माण्डेली अविवाहित था तथा अपीलार्थी के साथ बतौर उत्तराधिकारी रहता था। हजारीमल उर्फ हजारीराम के बंट कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 82/19 रकबा 16.08 बीघा मौजा माण्डेली में स्थित था। तथा अन्य खेत खसरा नम्बर 394 रकबा 39 बीघा में हजारीमल के सहखातेदारी के खेत थे। अपीलार्थी के बड़े भाई हजारीमल का देहान्त दिनांक 8–6–2002 को हो गया। हजारीमल उर्फ हजारीराम ने अपीलार्थी गोरधन के पक्ष में एक वसीयतनामा निष्पादित किया जिसमें उल्लेखित किया गया कि मेरी मृत्यु के पश्चात मेरे बंट कब्जे काश्त खातेदारी के उक्त खेताय का एक मात्र मालिक मेरा छोटा भाई गोरधन होगा। वसीयतनामा पर गवाहों व अपने भाईयों के भी हस्ताक्षर किये हुए है किन्तु वसीयतनामा रजिस्टर्ड नहीं है।

यहां यह उल्लेखनीय है कि हजारीमल उर्फ हजारीराम ने एक वसीयतनामा अपने जीवनकाल में दिनांक 7–6–2002 अपीलार्थी के हक में निष्पादित किया। अपीलार्थी विवादग्रस्त आराजियात का मालिक होते हुए भी ग्राम पंचायत जोधियासी ने खसरा नम्बर 82/19 का नामान्तरकरण रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 के पक्ष में स्वीकृत कर दिया जबकि वसीयतनामे के आधार पर ग्राम पंचायत को अपीलार्थी के नाम नामान्तरकरण स्वीकृत करना चाहिए था। अपीलार्थी द्वारा दस रूपये के स्टॉम्प पर लिखित वसीयतनामा दिनांक 7–6–2002 की फोटो प्रति पत्रावली पर उपलब्ध है। जिसके अवलोकन से स्पष्ट है कि हजारीमल उर्फ हजारीराम का स्वर्गवास दिनांक 8–6–2002 को हुआ था तथा वसीयत नामा निष्पादित करने हेतु 7–6–2002 को खरीदा जाकर उसी दिन वसीयतनामा स्व0 हजारीमल द्वारा लिखा गया। हजारीमल उर्फ हजारीराम द्वारा अपनी मृत्यु से एक दिन पूर्व वसीयत निष्पादित की है, वसीयतनामें पर साक्ष्य स्वरूप गवाहों के नाम अंकित है जिन पर उनके पिता का नाम व पूरा पता भी अंकित नहीं है जो संदेहास्पद प्रतीत होती है। चूंकि नामान्तरकरण एक फिस्कल कार्यवाही है जिसमें किसी पक्षकार के हक हकूकों का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नागौर द्वारा अपने आदेश दिनांक 20–6–2008 में तहसीलदार नागौर को प्रकरण प्रतिप्रेषित कर पक्षकारों का अलग–अलग नाम अंकित कर पुनः म्यूटेशन स्वीकृत करने के आदेश पारित किये है जो विधिसम्मत नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नागौर को तहसीलदार, नागौर को हजारीलाल पुत्र बेजुलाल के समस्त विधिक वारिसानों की जांच कर साक्ष्य व सुनवाई का अवसर प्रदान कर नये सिरे से निर्णय पारित करने हेतु निर्देश देने चाहिए थे। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नागौर द्वारा

पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 20–6–2008 विधिसम्मत नहीं होने से खारिज योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय (उपखण्ड अधिकारी) नागौर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 20–6–2008 अन्तर्गत अपील संख्या 23/2007 बउनवान गोरधन बनाम सोदरा देवी व अन्य विधिसम्मत नहीं होने से खारिज किया जाता है और प्रकरण तहसीलदार, नागौर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे हजारीलाल पुत्र बेजुलाल के समस्त विधिक वारिसानों की जांच कर उन्हें सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान कर नये सिरे से विधिसम्मत निर्णय पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 02–05–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भंवर लाल मेहरा)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर